

पत्रावली घेच हुई वाली ल. पत्रावली
छाजिर नही आये वास्ते सपके कानून
पत्रावली 1-4-2 के घेच हो | 92

1-4-2

पत्रावली घेच हुई वाली व वाली के
आधीवक्ता को बार-बार कक कक कर
आवाजे पुकसाई गई वाली व वाली
के आधीवक्ता छाजिर न्यायालय नही
आये । अतः प्राथम का प्राथम
पत्र अदम छाजिरी अदम फैली
श्वारिज किया जाता है पत्रावली
नमस्त्र से काम होकर 45 तकमील
दाखिल दफतर हो ।

पत्रावली
उपसुपंड अधिकारी
साकेरी (दुनी)

